न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 105/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/176

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण
मृतक शिवदान सिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी आईचिया, तहसील व जिला पाली के विधिक उत्तराधिकारी नरपतसिंह पुत्र स्व. श्री शिवदानसिंह, जाति राजपूत, निवासी आईचिया, तहसील व जिला पाली (राज.)		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पाली 2. नगर विकास न्यास, पाली जरिये सचिव

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी.

उपस्थित :–प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसिंह सोलंकी, श्री मुस्ताक खान
सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 12.11.2025

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. के तहत मौजा ग्राम आईचिया के खसरा संख्या 318/1 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी सोयम के राजस्व रेकर्ड में राज्य सरकार के नाम की प्रविष्टि के स्थान पर पूर्व की प्रविष्टि प्रार्थी के नाम खातेदारी खातेदारी दर्ज करने बाबत् पेश की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मुस्ताक खान व अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार वक्त बहस उपस्थित हुए। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा ग्राम आईचिया के खसरा संख्या 318/1 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी सोयम की भूमि प्रार्थी के पिता शिवदानसिंह को राज्य सरकार द्वारा विधि एवं नियमानुसार संवंत् 2024 में आवंटित की गई। दिनांक 15.05.1979 को अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत न्यायालय हाजा में पेश किया जिस पर न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 23.10.1979 के द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त किया। उक्त निर्णय दिनांक 23.10.1979 की जानकारी होने पर प्रार्थी ने निर्णय दिनांक 23.10.1979 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के यहां अपील प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली ने अपने निर्णय दिनांक 30.03.2009 पारित किया जिसमें माननीय न्यायालय ने न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 23.10.1979 को निरस्त करते हुए जैर आराजी को पुनः प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाकर मौजा ग्राम आईचिया के खसरा संख्या 318/1 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी सोयम राजस्व रेकर्ड में दिनांक 23.10.1979 से पूर्व की स्थिति प्रति स्थापित करते हुए माफिक आवंटन वर्ष 1967 के प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश फरमावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता प्रार्थी की श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में आवेदक द्वारा धारा 144 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह वर्णित है कि यदि किसी न्यायालय द्वारा किसी पक्षकार के विरूद्ध कोई आदेश पारित किया जाता है एवं उच्चतर न्यायालय द्वारा आदेश को अपास्त कर दिया जाता है तो पुनः विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को प्रार्थी के आवेदन करने पर पुनर्स्थापन/restitution का अधिकार है। प्रश्नगत प्रकरण में विवादित आराजी मौजा ग्राम आईचिया के खसरा संख्या 318/1 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी सोयम का आवेदक या उसके पूर्वाधिकारी शिवदानसिंह पुत्र हेमसिंह को आवंटन वर्ष 1967 में किया गया था। उक्त आवंटन को जिला कलक्टर पाली द्वारा दिनांक 23.10.1979 द्वारा तहसीलदार प्राली के आवेदन पर निरस्त कर दिया जिसकी अपील संख्या पाली/एल.आर./02/2008 को आवंटी के वारिश प्रार्थी स्वयं द्वारा किये जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.03.2009 से प्रार्थी के पिता के शिवदानसिंह को हुए आवंटन को बहाल करने का आदेश पारित किया जिसकी क्रियान्विति आवेदक चाहकर न्यायालय जिला कलक्टर पाली के निर्णय दिनांक 23.10.1979 के पूर्व की स्थिति बहाल करने का निवेदन करता है। वस्तुतः आवेदक मूल आवंटी का पुत्र है। वर्ष 2009 के उक्त आवंटन बहाली के आदेश की क्रियान्विति/पुनर्स्थापन/restitution का आवेदन प्रस्तुत दिनांक 15.09.2025 अर्थात् आवंटन बहाल होने के करीब 16 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जैर प्रार्थना–पत्र पेश करने में हुए 16 वर्ष विलम्ब का कोई कारण नहीं दिया है और न ही अपने आवेदन में इस प्रकार का कोई विलम्ब स्पष्ट करने वाला कारण वर्णित किया है न ही उक्त देरीना के संबंध में प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र पेश किया है। प्रकरण में वस्तुतः राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत बने नियम है एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जिस बाबत् व्याप्त प्रावधान नहीं है, उस हेतु जाब्ता दीवानी के प्रावधान जो कि केन्द्रीय कानून है, लागू होता है एवं उन्हीं प्रावधानों के तहत आवेदक द्वारा धारा 144 जाब्ता दीवानी के तहत यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

जैर प्रकरण में विधिक रूप से ही सम्पादन किया जाना वांछनीय होता है। प्रकरण में हम कब्जे की स्थिति को अत्यधिक महत्व नहीं देते हुए यदि प्रकरण की मौलिक स्थिति पर भी विचार करे तो यह प्रकट आता है कि सार्वत्रिक रूप से मियाद अधिनियम 1963 सार्वत्रिक रूप से सभी प्रकरण में लागू होता है एवं इस प्रकरण में उक्त अधिनियम को लागू नहीं किये जाने का कोई आधार नहीं है। जाब्ता अधिनियम मियाद अधिनियम 1963 की अनुसूची में धारा 137 पर जो कि आदेश की क्रियान्विति के लिये कानून में कोई प्रावधान नहीं है। उसके लिए अत्यधिक 03 वर्ष की अवधि निर्धारित है। इस प्रकरण में जिस आदेश की क्रियान्विति आवेदक चाहता है उसे 03 वर्ष के स्थान पर 16 वर्ष गुजर चुके है एवं उक्त मियाद को मुजरा/शमन किये जाने के लिए कोई आधार एवं साक्ष्य अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा नहीं दिया गया है साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के निर्णय दिनांक 30.03.2009 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट जाहिर होता है कि उक्त न्यायालय में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 23.10.1979 के विरूद्ध अपील स्वयं प्रार्थी द्वारा ही प्रस्तुत की गई थी जिससे यह कदापि इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रार्थी को उक्त निर्णय दिनांक 30.03.2009 की जानकारी नहीं हो। विधि के प्रावधानों के तहत 03 वर्ष की मियाद के स्थान पर 16 वर्ष की मियाद को शमन किये जाने का हमारे पास कोई विधिक आधार नहीं है। अतएव हम इस आधार पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के आदेश दिनांक 30.03.2009 के आदेश का

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

पुनर्स्थापन/restitution नहीं कर सकते। अपीलाण्ट चाहे तो उचित विधिक उपचार के साथ सक्षम न्यायालय में उक्त आदेश की पालना में राहत प्राप्त करने को स्वतंत्र है।

लिहाजा समग्रतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम आवेदक का जैर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. बेरून मियाद होने खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली